संविधान का निर्माण

संविधान सभा की मांग
- 1934 – एम एन रॉय द्वारा
- 1935 – कांग्रेस द्वारा
- 1936 – लखनऊ अधिवेशन में जे.एल.नेहरू द्वारा
- 1940
  - लिनलिथगो द्वारा अगस्त ऑफर
  - संविधान सभा की मांग मान ली गई
  - लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया

कैबिनेट मिशन योजना
- 1945 में ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया
- 1946 भारत में
- सदस्य
  - पैथिक लॉरेंस (अध्यक्ष)
  - ए वी अलेक्जेंडर
  - स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स
- प्रावधान
  - total Seats - 389
    - 296 Seats (elected) – ब्रिटिश भारत के प्रांतो से
      - 292 – गवर्नर के शासन वाले प्रांत से
      - 4 Seats – चीफ कमीश्नर शासन प्रांत से
    - 93 Seats (Nominated) – देशी रियासतो से
  - अप्रत्यक्ष निर्वाचन [Indirectly elected]
  - समुदायो का विभाजन - 3 [मुस्लिम, सिक्ख, सामान्य]
  - 10 लाख - 1 सीट
  - चुनाव: जुलाई - अगस्त 1946
  - परिणाम: 296 सीट
    - 208 कांग्रेस
    - 73 मुस्लिम लीग
    - 15 अन्य
  - विभाजन के बाद कुल सीटे 299 रह गई।

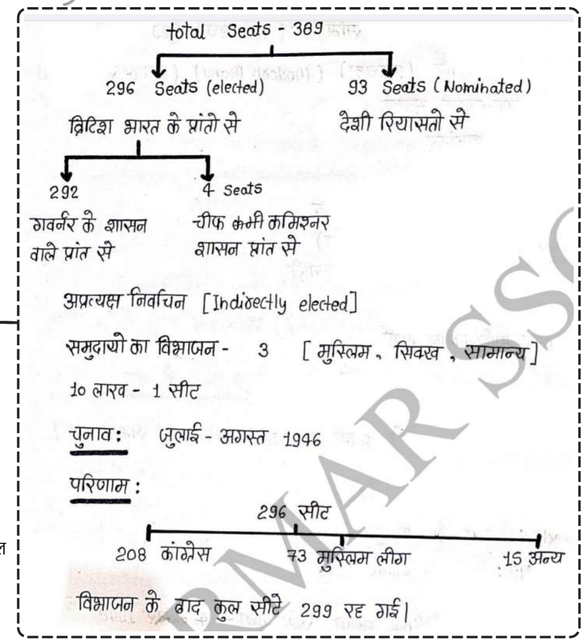

संविधान सभा
- 9 दिसंबर 1946 – प्रथम बैठक - 211 सदस्य
- 13 दिसम्बर 1946 – जेएल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प
- 22 जनवरी 1947
  - उद्देश्य संकल्प अपनाया गया
  - समिति - 8 प्रमुख और 13 लघु

समिति
- प्रमुख
  - संघ शक्ति समिति – जवाहर लाल नेहरू
  - प्रक्रिया समिति के नियम – डॉ राजेंद्र प्रसाद
  - प्रान्तीय संविधान समिति – सरदार पटेल
  - संचालन समिति – डॉ राजेंद्र प्रसाद
  - मसौदा समिति – डॉ॰ बी.आर. अम्बेडकर
  - मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति – सरदार पटेल
  - संघ संविधान समिति – जवाहर लाल नेहरू
  - राज्य समिति – जवाहर लाल नेहरू
- गौण (लघु)
  - संविधान सभा के कार्यों पर समिति – जी.वी मावलंकर
  - नागरिकता पर तदर्थ समिति – एस वरंचरी
  - प्रेस गैलरी समिति – उषा नाथ सेन
  - क्रेडेंटिल्स समिति – अल्लादी कृष्णास्वामी अयवार
  - व्यवसाय समिति का आदेश – डॉ के-एम. मुंशी
  - वित्त एवं कर्मचारी समिति – डॉ राजेंद्र प्रसाद
  - मुख्य आयुक्तों के प्रांतों पर समिति – बी. पट्टाभि सीतारमैया
  - सदन समिति – बी. पट्टाभि सीतारमैया
  - सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति – एस वरदाचारी
  - वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति – नलिनी रंजन सरकार
  - संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति – जवाहर लाल नेहरू
  - भाषाई प्रांतों पर आयोग – एस.के. डार
  - राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति – डॉ राजेंद्र प्रसाद

महत्वपूर्ण तिथियाँ
- 22 जुलाई 1947 – राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया
- मई 1949 – कॉमन वेल्थ सदस्यता
- 24 जनवरी 1950
  - रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान (जन गण मन) को अपनाया
  - बकीम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत (वंदे मात्रम्) को अपनाया
  - संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किये
  - राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए
  - आखिरी बैठक
  - 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किये (15 महिलाएँ)

कार्य
- संविधान निर्माता
  - अध्यक्ष - राजेंद्र प्रसाद
  - अस्थायी अध्यक्ष - सच्चिदानंद सिन्हा
- क़ानून निर्माता
  - अध्यक्ष - जी.वी. मावलंकर
  - उपाध्यक्ष - वीटी कृष्णमाचारी और एचसी मुखर्जी
- कानूनी सलाहकार - बी एन राव
- मुख्य ड्राफ्टसमैन - एसएन मुखर्जी

संविधान
- 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन लगा
- 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया
  - कुछ प्रावधान लगाए गए
    - नागरिकता
    - चुनाव
    - अनंतिम संसद
- 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया
- प्रतीक - हाथी
- सजावट
  - नंद लाल बोस
  - बेओहर राममनोहर सिन्हा
- सुलेख
  - प्रेम बिहारी नारायण रायजादा - अंग्रेजी
  - वसंत कुमार वैद्य - हिन्दी

महत्वपूर्ण प्रारूप (ड्राफ्ट)
- पहला ड्राफ्ट – 9-23 दिसंबर 1946
- 10वां ड्राफ्ट – 6-17 अक्टूबर 1949
- 11वां ड्राफ्ट – 14-26 नवम्बर 1949
- अंतिम ड्राफ्ट
  - 4 नवंबर 1948
  - बंगाल निर्वाचन क्षेत्र से बीआर अंबेडकर द्वारा

प्रारूप समिति
- 29 अगस्त 1947 को गठित
- 7 सदस्य
  - भीम राव अम्बेडकर - अध्यक्ष
  - अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर
  - एन गोपालस्वामी अय्यंगार
  - मुहम्मद सादुल्लाह
  - केएम मुंशी
  - बीएल मित्तर का स्थान एन. माधव राव ने लिया
  - डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णामाचारी को दी गई

PARMAR SSC

प्रस्तावना एवं अनुसूची

संविधान का स्रोत

- भारत सरकार अधिनियम 1935
  - सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा
  - आपातकालीन प्रावधान
  - सुप्रीम कोर्ट की स्थापना
  - PCS
  - राज्यपाल के अधिकारी
  - संघीय योजना
- यूके
  - सरकार का संसदीय स्वरूप
  - संसदीय विशेषाधिकार
  - एकल नागरिकता
  - कानून का शासन
  - रिट (Writs)
  - विधायी प्रक्रिया
  - द्विसदनीय संसद
- USA
  - मौलिक अधिकार
  - प्रस्तावना
  - शक्ति का विभाजन
  - संविधान की सर्वोच्चता
  - न्यायपालिका की स्वतंत्रता (SC और HC को हटाने की प्रक्रिया)
  - न्यायिक समीक्षा
  - कानून का समान संरक्षण
  - राज्य के प्रमुख (राष्ट्रपति) का चुनाव
  - राष्ट्रपति पर महाभियोग
  - उपराष्ट्रपति का पद
  - वित्तीय आपातकाल
- कनाडा
  - संघवाद
  - केंद्र राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है
  - अवशिष्ट शक्ति केवल केंद्र को
  - सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार
- ऑस्ट्रेलिया
  - समवर्ती सूची
  - व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता
  - दो सदनों की संयुक्त बैठक
  - केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन
- आयरलैंड
  - राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP)
  - राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन
- जर्मनी
  - राष्ट्रपति की शक्ति - आपातकाल
  - आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन
- यूएसएसआर (रूस)
  - मौलिक कर्तव्य
  - न्याय के आदर्श - सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक
  - पंचवर्षीय योजनाएँ
- फ्रांस
  - स्वतंत्रता समानता बंधुता
  - गणतंत्र प्रणाली
- जापान
  - कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया

प्रस्तावना

- संविधान के स्रोत
  - संकल्पना - यूएसए
  - भाषा - ऑस्ट्रेलिया
- उद्देश्य संकल्प का संशोधित रूप
- 22 जनवरी 1949 को अपनाया गया
- 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया
- वक्तव्य पारित
  - संविधान का पहचान पत्र — एन ए पालकीवाला द्वारा
  - संविधान की कुंडली (Horoscope) — केएम मुंशी द्वारा
  - संविधान के मुख्य सिद्धांत — अन्र्स्ट बार्कर द्वारा
- घटक
  - संविधान के अधिकार का स्रोत — भारत के लोग
  - प्रकृति — संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र
  - उद्देश्य
    - न्याय — सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
    - स्वतंत्रता — विचार, अभिव्यक्ति पूजा, आस्था और विश्वास
    - समानता — स्थिति और अवसर
    - बंधुता
- संशोधन
  - केवल एक बार - 42वीं संवैधानिक संशोधन, 1976 (मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है)
  - जोड़ा गया - सत्यनिष्ठा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष

मामले

- बेरुबारी यूनियन मामला
  - 1960
  - प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता
- केशवानंद भारती मामला
  - 1973
  - प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है
  - सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट फैसले को पलट सकता है
  - न्यायाधीशों की अधिक पीठ की आवश्यकता
  - 13 न्यायाधीश उपस्थित थे (अब तक सर्वाधिक)
- LIC मामला — केशवनंद भारती केस की पुष्टि की

अनुसूची

1. क्षेत्र विस्तार एवं अधिकार क्षेत्र
2. परिलब्धियाँ
3. प्रतिज्ञान एवं शपथ
4. राज्यसभा सीटें
5. अनुसूचित क्षेत्र
6. अन्य अनुसूची क्षेत्र — असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय
7. संघीय प्रावधान

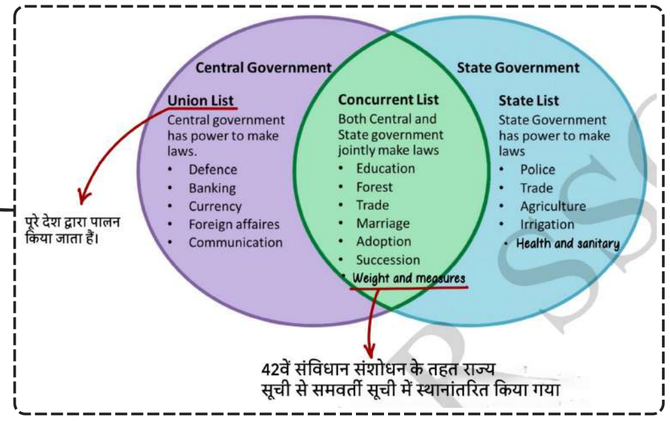

8. राजभाषाएँ
   - मूलतः - 14
   - वर्तमान में - 22
   - 21st संवैधानिक संशोधन — सिंधी को जोड़ा गया
   - 71st संवैधानिक संशोधन — कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली
   - 92nd संवैधानिक संशोधन — बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली
   - 96th संवैधानिक संशोधन — Odia
9. भूमि सुधार — 1st संवैधानिक संशोधन - 1951
10. दलबदल कानून — 52nd संवैधानिक संशोधन - 1985
11. पंचायतें — 73rd संवैधानिक संशोधन - 1992
12. नगर पालिकाएँ — 74th संवैधानिक संशोधन - 1993

भाग - I & II

भाग-I संघ एवं उसका क्षेत्र

- अनुच्छेद - 1
  - संघ का नाम एवं क्षेत्र
  - इण्डिया अर्थात् भारत, राज्यों का एक संघ होगा
  - राज्य और क्षेत्र निर्दिष्ट
  - भारत का क्षेत्र
    - राज्यों के क्षेत्र
    - प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश
    - अन्य क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है
- अनुच्छेद-2
  - नये राज्यों का प्रवेश/स्थापना
  - संसद कानून द्वारा संघ में प्रवेश कर सकती है, या नये राज्यों की स्थापना कर सकती है
- अनुच्छेद-3
  - नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
  - किसी भी राज्य का क्षेत्रफल परिवर्तित कर सकता हैं।
  - राज्यों की सीमा में परिवर्तन
  - किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकता हैं।
  - प्रावधानों
    - राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जाएगा
    - संसद पर नहीं (सलाहकार प्रकृति का)
    - बिलों में नई दिल्ली
    - सुझाव के लिए विशेष राज्य को दें (राज्यपाल)
- अनुच्छेद-4
  - अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाये गये कानून
  - अनुच्छेद 1 और 3 तथा अनुसूची 1 और 2 में संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा।
  - dealt as Amendment under Art. 368 make sure to change in Schedule 1st & 4th
  - केवल साधारण बहुमत द्वारा यह तब लागू होता है जब एक क्षेत्र को बाहर से अंदर की ओर जोड़ा जाता है (2/3 सदस्य उपस्थित + मतदान)
  - 1959
    - बेरुबारी यूनियन मामला
    - भारतीय क्षेत्र यदि किसी विदेशी क्षेत्र को देना हो तो धारा 368 लागू होती है
  - 2014
    - भारत-बांग्लादेश समझौता
    - 100th संवैधानिक संशोधन
    - विशेष बहुमत द्वारा भारत के कुछ हिस्से बांग्लादेश को
    - साधारण बहुमत द्वारा बांग्लादेश के कुछ हिस्से भारत से

नागरिकता अधिनियम 1955

- अधिग्रहण करना
  - जन्म से
  - शालीनता से भारत के बाहर पैदा हुए, लेकिन भारतीय नागरिक हैं
  - पंजीकरण द्वारा - मूल भारत (भारत में 7 वर्ष से निवास)
  - प्राकृतिकीकरण से मूल भारत का नहीं (भारत में रहने के 12 वर्ष)
  - प्रदेशों के समावेश से
- खोना
  - त्याग से (स्वयं की इच्छा से)
  - समाप्ति द्वारा (बिना सूचना दिए स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त की गई)
  - अभाव द्वारा (दस्तावेज़ खराबी, भारत के साथ युद्ध में शत्रु देश की सहायता करना)

भाग-II नागरिकता

- संसद द्वारा विनियमित
- अनुच्छेद 5-11
- ब्रिटेन से ली गई एकल नागरिकता
- अनुच्छेद - 5
  - संविधान के प्रारंभ में नागरिकता
  - अधिवास अनिवार्य होना चाहिए
  - इनमें से कोई एक
    - भारत में जन्म हुआ हो
    - भारतीय मूल के माता-पिता में से कोई एक
    - जो कम से कम 5 वर्षों से सामान्य निवासी है
- अनुच्छेद-6
  - पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार
- अनुच्छेद - 7
  - पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार
- अनुच्छेद-8
  - भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
- अनुच्छेद-9
  - स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं होते
- अनुच्छेद-10
  - नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना
- अनुच्छेद - 11
  - संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी

विशेष शक्तियाँ

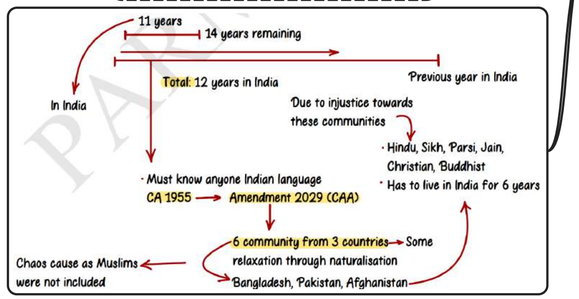

Article No.	Subject-matter
371	Special provision with respect to the states of Maharashtra and Gujarat.
371 – A.	Special provision with respect to the state of Nagaland.
371 – B.	Special provision with respect to the state of Assam
371 – C.	Special provision with respect to the state of Manipur
371 – D.	Special provisions with respect to the state of Andhra Pradesh or the state of Telangana
371 – E.	Establishment of Central University in Andhra Pradesh
371 – F.	Special provisions with respect to the state of Sikkim
371 – G.	Special provision with respect to the state of Mizoram
371 – H.	Special provision with respect to the state of Arunachal Pradesh
371 – I.	Special provision with respect to the state of Goa
371 – J.	Special provisions with respect to the state of Karnataka

राज्यों का गठन

- आंध्र प्रदेश — पूरी तरह से राज्य - 1 नवंबर 1956 में
- महाराष्ट्र — 1960
- गुजरात — 1960
- नागालैंड — 1963
- हरियाणा — 1966
- हिमाचल प्रदेश — 1971
- मेघालय — 1972
- मणिपुर — 1972
- त्रिपुरा — 1972
- सिक्किम
  - 1975
  - पहले चोग्याल राजवंश का शासन था
  - एसोसिएट स्टेट अनुच्छेद 2ए 35वीं संवैधानिक संशोधन, 1974
  - पूर्ण राज्य का दर्जा 36वीं संवैधानिक संशोधन, 1975
- गोवा
  - 1987 (UT)
  - 56वां संवैधानिक संशोधन (राज्य का दर्जा)
- अरुणाचल प्रदेश — 1987
- मिजोरम — 1987

भाषाई प्रावधान आयोग

- एसके धर आयोग
  - 1948
  - भाषाई आधार मॉडल खारिज
  - राज्यों को भाषाई आधार पर नहीं, बल्कि "प्रशासनिक सुविधा" के आधार पर संगठित किया जाएगा
- जेवीपी समिति
  - 1948
  - राज्य का गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए
  - सदस्य - जेएल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टाभिसीतारामय्या
- 1953
  - पोट्टी श्रीरामुलु — आमरण अनशन के दौरान मृत्यु (56 दिन)
  - उनकी मृत्यु के बाद भारत का पहला भाषाई राज्य बना
  - आंध्र प्रदेश
    - सितम्बर/अक्टूबर 1953
    - तेलुगु भाषी क्षेत्र

फ़ज़ल अली आयोग

- दिसंबर 1953
- सदस्यों
  - फ़ज़ल अली (अध्यक्ष)
  - के एम पणिक्कर
  - एच एन कुंजरू
- "एक भाषा एक राज्य" के सिद्धांत को ख़ारिज कर दिया
- राज्य के गठन का भाषाई आधार स्वीकार किया गया
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956

भाग - III

PARMAR SSC

मौलिक अधिकार
- Art: 12-35
- मैग्नाकार्टा (Magna Carta)
- मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं हैं लेकिन योग्य हैं (बहुत सीमित)
- मौलिक अधिकार अनुल्लंघनीय नहीं हैं (स्थायी नहीं हैं)
- मौलिक अधिकार प्रकृति में न्यायसंगत हैं
- संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है
  - अनुच्छेद 31 & अनुच्छेद 19(f)
  - पीएम-मोरारजी देसाई
  - अब कानूनी अधिकार - 300 A

अनुच्छेद 12
- राज्य शब्द की परिभाषा
  - राज्य सरकार
  - सरकार
  - संसद
  - सरकारी निकाय
  - स्थानीय/अन्य प्राधिकारी
  - भारत के क्षेत्र के भीतर

अनुच्छेद 13
- कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार के साथ असंगत/विवादास्पद है, उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा (न्यायपालिका द्वारा)

समानता का अधिकार अनुच्छेद 14-18
- अनुच्छेद 14
  - कानून के समक्ष — ब्रिटेन से
  - कानून का समान संरक्षण — संयुक्त राज्य अमेरिका
  - अपवाद — राष्ट्रपतियों, विधायकों/सांसदों को नागरिक मामलों पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता
- अनुच्छेद 15
  - स्थिति में समानता
  - लिंग, नस्ल, जाति, लिंग, धर्म और जन्म स्थान के भेदभाव के खिलाफ अधिकार
- अनुच्छेद 16
  - सार्वजनिक रोजगार में समानता
  - सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता
  - अनुच्छेद 16(4)
    - पदोन्नति एवं नियुक्ति में आरक्षण (समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं)
    - मामलों
      - बालाजी बनाम मैसूर राज्य
      - देवदासन बनाम भारत संघ मामला
      - इंदिरा साहनी केस (1993)
- अनुच्छेद 17
  - अस्पृश्यता का उन्मूलन
- अनुच्छेद 18
  - उपाधियों का उन्मूलन
    - राज्य उपाधियों को प्रदान नहीं कर सकता
    - अपवाद: शिक्षा, सेना, महामहिम के मामले में

स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22
- अनुच्छेद 19
  - सभी नागरिकों को अधिकार होगा-
  - अनुच्छेद 19(a) — भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए
  - अनुच्छेद 19(b) — शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना
  - अनुच्छेद 19(c) — एसोसिएशन या यूनियन को गठित करना
  - अनुच्छेद 19(d) — भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए
  - अनुच्छेद 19(e) — भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए
  - अनुच्छेद 19(g) — किसी पेशे का अभ्यास करना या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय चलाना
- अनुच्छेद 20
  - अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
  - no ex post facto law — आयोग के समय लागू कानून के उल्लंघन को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा
  - no double jeopardy — किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा
  - कोई आत्म दोषारोपण नहीं — किसी भी अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा
- अनुच्छेद 21
  - जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा
  - कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा
- अनुच्छेद 21 A
  - शिक्षा का अधिकार
  - 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना
  - 86th संवैधानिक संशोधन, 2002 द्वारा
- अनुच्छेद 22
  - कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा
  - गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को बिना बताए हिरासत में नहीं रखा जाएगा
  - गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को चौबीस घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा
  - दंडात्मक अपराध किया है
  - संदिग्ध पर निवारक

शोषण के विरुद्ध अधिकार Art. 23-24
- अनुच्छेद 23
  - मानव तस्करी एवं जबरन श्रम पर रोक
  - अपवाद - इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य लोगों को अनिवार्य सेवाएँ करने के लिए बाध्य कर सकता है
- अनुच्छेद 24
  - बाल श्रम पर रोक
  - 14 वर्ष से कम उम्र वालों को खतरनाक/ख़तरनाक जगह पर नियोजित नहीं किया जा सकता

धर्म का अधिकार अनुच्छेद 25-28
- अनुच्छेद 25 — अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार
- अनुच्छेद 26 — धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 27 — किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 28 — कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता

सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30
- अनुच्छेद 29
  - अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा
  - समाज के किसी भी वर्ग के लिए प्रत्येक नागरिक की भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा का अधिकार
- अनुच्छेद 30
  - शैक्षिणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार
  - शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार (केवल अल्पसंख्यकों के लिए)

अनुच्छेद 32
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार
- UK से
- Writs

- संविधान की हृदय और आत्मा — बी आर अम्बेडकर द्वारा
- सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से इनकार नहीं कर सकता लेकिन हाई कोर्ट कर सकता है
- उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के समृद्ध क्षेत्राधिकार से अधिक व्यापक है

अनुच्छेद 33
- सशस्त्र व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की संसद की शक्ति

अनुच्छेद 34
- मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध

अनुच्छेद 35
- मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति (केवल संसद में निहित)

नागरिकों को उपलब्ध अधिकार
- अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 & अनुच्छेद 30

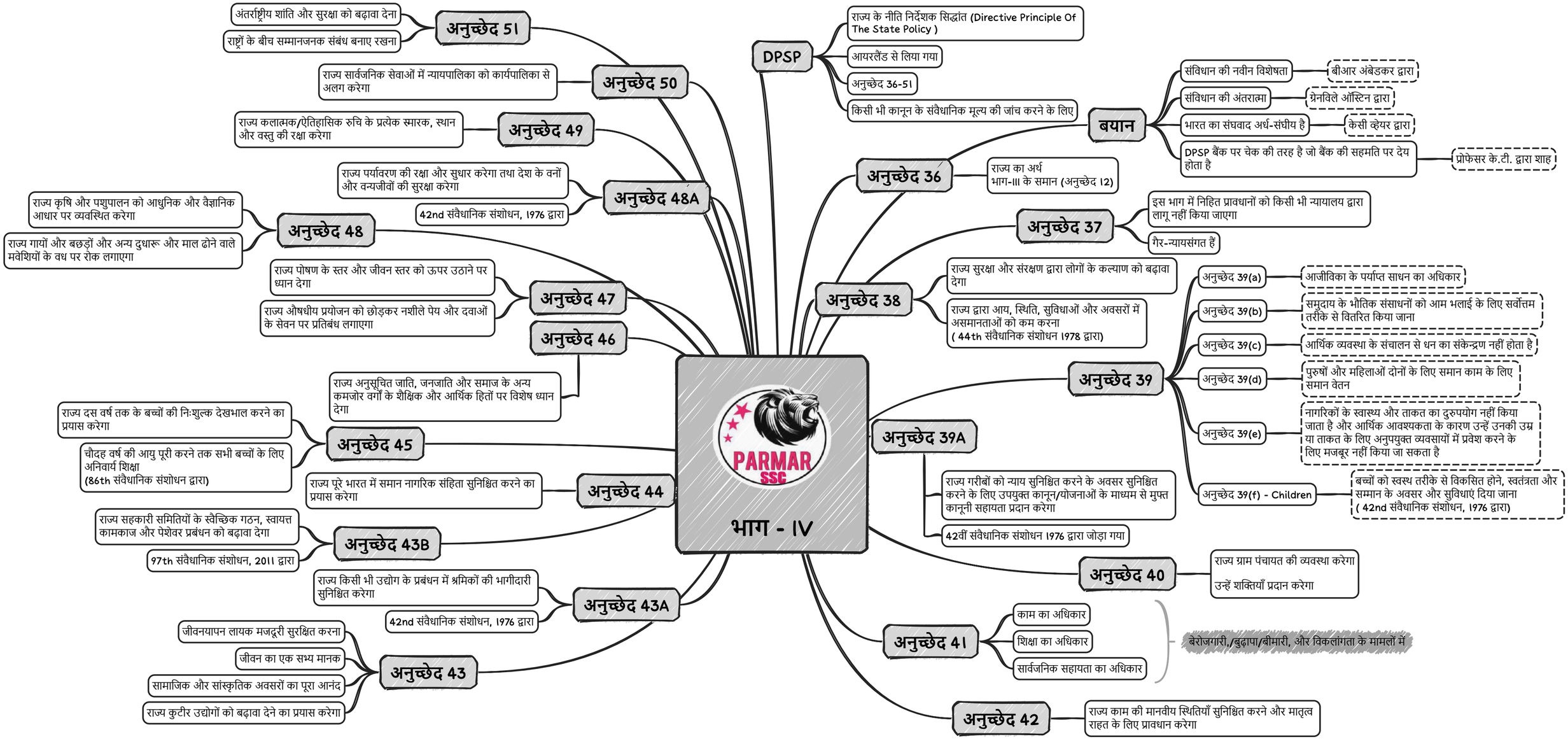
भाग - IV
PARMAR SSC
DPSP
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (Directive Principle Of The State Policy)
आयरलैंड से लिया गया
अनुच्छेद 36-51
किसी भी कानून के संवैधानिक मूल्य की जांच करने के लिए
बयान
संविधान की नवीन विशेषता
बीआर अंबेडकर द्वारा
संविधान की अंतरात्मा
ग्रेनविले ऑस्टिन द्वारा
भारत का संघवाद अर्ध-संघीय है
केसी व्हेयर द्वारा
DPSP बैंक पर चेक की तरह है जो बैंक की सहमति पर देय होता है
प्रोफेसर के.टी. द्वारा शाह
अनुच्छेद 36
राज्य का अर्थ भाग-III के समान (अनुच्छेद 12)
अनुच्छेद 37
इस भाग में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा
गैर-न्यायसंगत हैं
अनुच्छेद 38
राज्य सुरक्षा और संरक्षण द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देगा
राज्य द्वारा आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना (44th संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा)
अनुच्छेद 39
अनुच्छेद 39(a)
आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार
अनुच्छेद 39(b)
समुदाय के भौतिक संसाधनों को आम भलाई के लिए सर्वोत्तम तरीके से वितरित किया जाना
अनुच्छेद 39(c)
आर्थिक व्यवस्था के संचालन से धन का संकेन्द्रण नहीं होता है
अनुच्छेद 39(d)
पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन
अनुच्छेद 39(e)
नागरिकों के स्वास्थ्य और ताकत का दुरुपयोग नहीं किया जाता है और आर्थिक आवश्यकता के कारण उन्हें उनकी उम्र या ताकत के लिए अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है
अनुच्छेद 39(f) - Children
बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित होने, स्वतंत्रता और सम्मान के अवसर और सुविधाएं दिया जाना (42nd संवैधानिक संशोधन, 1976 द्वारा)
अनुच्छेद 39A
राज्य गरीबों को न्याय सुनिश्चित करने के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून/योजनाओं के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा
42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया
अनुच्छेद 40
राज्य ग्राम पंचायत की व्यवस्था करेगा
उन्हें शक्तियाँ प्रदान करेगा
अनुच्छेद 41
काम का अधिकार
शिक्षा का अधिकार
सार्वजनिक सहायता का अधिकार
बेरोजगारी,/बुढ़ापा/बीमारी, और विकलांगता के मामलों में
अनुच्छेद 42
राज्य काम की मानवीय स्थितियाँ सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा
अनुच्छेद 43
जीवनयापन लायक मजदूरी सुरक्षित करना
जीवन का एक सभ्य मानक
सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का पूरा आनंद
राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा
अनुच्छेद 43A
राज्य किसी भी उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा
42nd संवैधानिक संशोधन, 1976 द्वारा
अनुच्छेद 43B
राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देगा
97th संवैधानिक संशोधन, 2011 द्वारा
अनुच्छेद 44
राज्य पूरे भारत में समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा
अनुच्छेद 45
राज्य दस वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क देखभाल करने का प्रयास करेगा
चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा (86th संवैधानिक संशोधन द्वारा)
अनुच्छेद 46
राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान देगा
अनुच्छेद 47
राज्य पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने पर ध्यान देगा
राज्य औषधीय प्रयोजन को छोड़कर नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा
अनुच्छेद 48
राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करेगा
राज्य गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और माल ढोने वाले मवेशियों के वध पर रोक लगाएगा
अनुच्छेद 48A
राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करेगा
42nd संवैधानिक संशोधन, 1976 द्वारा
अनुच्छेद 49
राज्य कलात्मक/ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक, स्थान और वस्तु की रक्षा करेगा
अनुच्छेद 50
राज्य सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा
अनुच्छेद 51
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना
राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखना

भाग - IV(A)

मौलिक कर्त्तव्य

- यूएसएसआर (USSR) से लिया गया
- सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिश पर
- 10 कर्तव्य
  - 42nd संवैधानिक संशोधन द्वारा
- 11th मौलिक कर्त्तव्य - 51 (k)
  - 86th संवैधानिक संशोधन द्वारा
- केवल भारतीयों के लिए लागू

मौलिक अधिकार v/s राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

- चंपकम दोरैराजन मामला
  - 1915
  - मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) पर प्रबल होंगे
  - मौलिक अधिकार संशोधन योग्य हैं
- गोलकनाथ केस
  - 1967
  - संसद मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती
  - 24वाँ संवैधानिक संशोधन - संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है (संसद द्वारा)
  - 25वां संविधान संशोधन- कोई भी कानून जो अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) को लागू करने का प्रयास करता है, उसे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के आधार पर शून्य और अमान्य घोषित किया जाएगा
- केशवानंद भारती मामला
  - 1973
  - 13 बेंच जजों का मामला
  - संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती
- मिनर्वल मिल मामला
  - मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) के बीच आई बैलेंस की आधारशिला पर संवैधानिक पाया जाता है

अनुच्छेद 51A (a)
- संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना

अनुच्छेद 51A (b)
- उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया

अनुच्छेद 51A (c)
- भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए

अनुच्छेद 51A (d)
- देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना

अनुच्छेद 51A (e)
- भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना
- महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना

अनुच्छेद 51A (f)
- हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना

अनुच्छेद 51A (g)
- प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना
- जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना

अनुच्छेद 51A (h)
- वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना

अनुच्छेद 51A (i)
- सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना

अनुच्छेद 51A (j)
- व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना

अनुच्छेद 51A (k)
- माता-पिता, अभिभावक द्वारा अपने बच्चे (6-14 वर्ष की आयु के बीच) को शिक्षा के अवसर प्रदान करना।

भाग - V

The Union
- अध्याय 1 — कार्यकारी
- अध्याय 2 — संसद
- अध्याय 3 — राष्ट्रपति की विधायी शक्ति
- अध्याय 4 — संघ न्यायपालिका
- अध्याय 5 — भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

The Union Executive
- भारतीय संघ के प्रमुख
- भारत का प्रथम नागरिक

अनुच्छेद 52
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत का एक राष्ट्रपति होगा

अनुच्छेद 53
- संघ की कार्यकारी शक्ति
- संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी
- संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी

अनुच्छेद 54
- राष्ट्रपति का चुनाव
- राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा
- संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा (सभी निर्वाचित सांसद एवं विधायक)

अनुच्छेद 55
- राष्ट्रपति के चुनाव की रीति
- अप्रत्यक्ष चुनाव (राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति)
- आनुपातिक प्रतिनिधि + एकल हस्तांतरणीय वोट
- गुप्त मतपत्र द्वारा
- 50 proposers + 50 seconders - President elections
- Quota = $\frac{\text{Total votes}}{\text{No. of Candidates} + 1} + 1$
- Value of vote of all MLAs = $\frac{\text{Total population of State}}{\text{No. of elected MLA}} \times \frac{1}{1000}$
- Value of vote of MP = $\frac{\text{Total value of votes of all MLAs}}{\text{Total no. of elected MPs}}$

अनुच्छेद 56
- राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल
- राष्ट्रपति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद पर
- उपराष्ट्रपति को इस्तीफा

अनुच्छेद 57
- पुनः चुनाव के लिए पात्रता
- उस कार्यालय के लिए पुनः चुनाव के लिए पात्र

अनुच्छेद 58
- राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएँ
- भारत का नागरिक
- पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर ली
- लोक सभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र
- भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो

अनुच्छेद 59
- राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें
- राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा
- राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किये जायेंगे

अनुच्छेद 60
- राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में सदस्यता लेंगे
- या, उसकी अनुपस्थिति में, उपलब्ध उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश

अनुच्छेद 61
- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
- संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाना है
- आरोप को संसद के किसी भी सदन द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी
- ऐसा प्रस्ताव कम से कम 14 दिनों के लिखित नोटिस के बाद पेश किया गया है
- सदन के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित
- ऐसा प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया है

अनुच्छेद 62
- रिक्ति भरने के लिए चुनाव
- राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा
- मृत्यु, इस्तीफा या निष्कासन के मामले में - उपराष्ट्रपति, CJI या SC के न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे

अनुच्छेद 72
- क्षमादान देने की राष्ट्रपति की शक्ति
- राष्ट्रपति के पास सजा को क्षमा करने, राहत देने, राहत देने या कम करने या सजा को निलंबित करने, कम करने या कम करने की शक्ति होगी।
- मौत की सजा माफ कर सकता है

PARMAR SSC

उपराष्ट्रपति

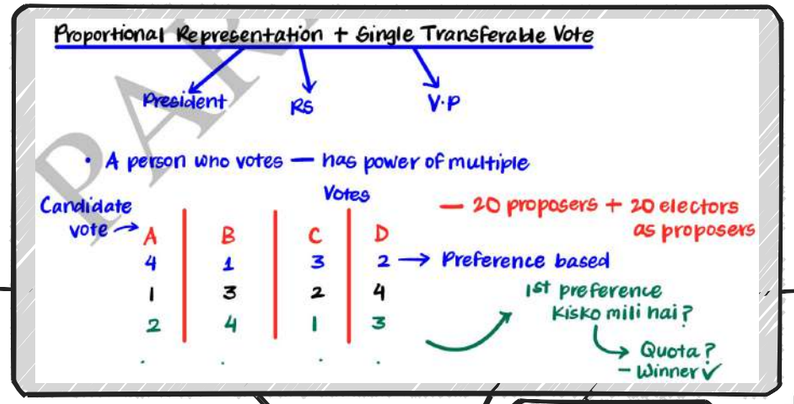

अनुच्छेद 71

- राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी चुनावी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा

अनुच्छेद 63

- भारत के उपराष्ट्रपति
- भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा.

अनुच्छेद 70

- अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन

अनुच्छेद 64

- उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा
- लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा

अनुच्छेद 69

- उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान.
- प्रत्येक उपराष्ट्रपति, अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर करेगा

अनुच्छेद 65

- उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना

अनुच्छेद 68

- उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय
- किसी रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा
- उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण उनके पद पर हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव 60 दिनों के भीतर होगा।

अनुच्छेद 66

- उपराष्ट्रपति का चुनाव
- उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों (सभी सांसद) द्वारा किया जाएगा।
- आनुपातिक प्रतिनिधि + एकल हस्तांतरणीय वोट
- उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा
- उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्रता
  - भारत का नागरिक
  - 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो
  - राज्य सभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य
- भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए

अनुच्छेद 67

- उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल
- उपराष्ट्रपति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेगा
- राष्ट्रपति को इस्तीफा
- किसी उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोक सभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है।
- एक उपराष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी उसके कार्यालय में प्रवेश नहीं कर लेता

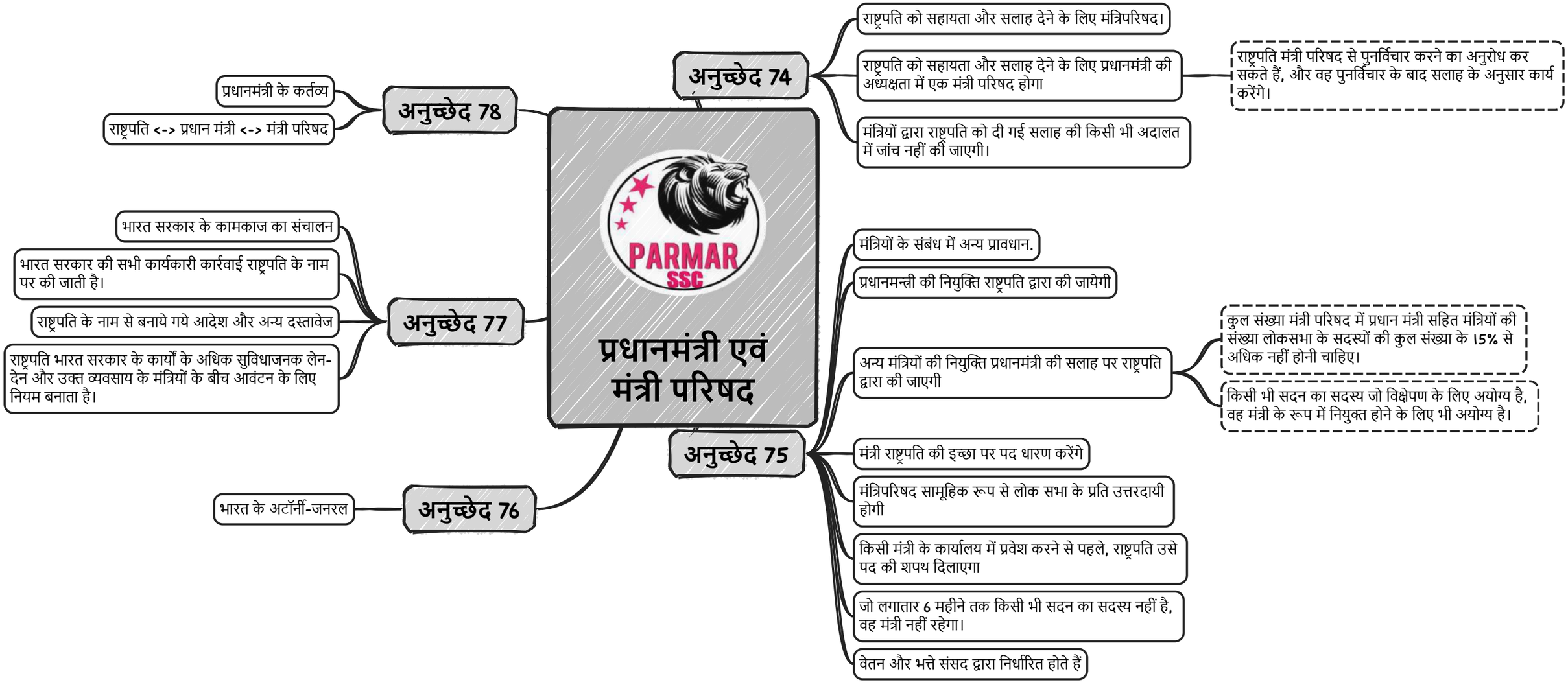
प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद
PARMAR SSC
अनुच्छेद 74
राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।
राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगा
राष्ट्रपति मंत्री परिषद से पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकते हैं, और वह पुनर्विचार के बाद सलाह के अनुसार कार्य करेंगे।
मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी।
अनुच्छेद 75
मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान.
प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी
कुल संख्या मंत्री परिषद में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
किसी भी सदन का सदस्य जो विक्षेपण के लिए अयोग्य है, वह मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य है।
मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करेंगे
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी
किसी मंत्री के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, राष्ट्रपति उसे पद की शपथ दिलाएगा
जो लगातार 6 महीने तक किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह मंत्री नहीं रहेगा।
वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं
अनुच्छेद 76
भारत के अटॉर्नी-जनरल
अनुच्छेद 77
भारत सरकार के कामकाज का संचालन
भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है।
राष्ट्रपति के नाम से बनाये गये आदेश और अन्य दस्तावेज
राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक लेन-देन और उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाता है।
अनुच्छेद 78
प्रधानमंत्री के कर्तव्य
राष्ट्रपति <-> प्रधान मंत्री <-> मंत्री परिषद

संसद

अनुच्छेद-79

- संसद का गठन
- संघ के लिए एक संसद होगी

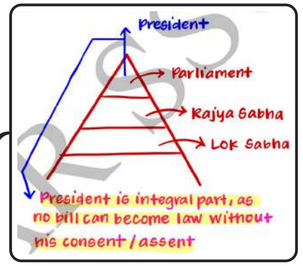

- लोकसभा
  - निचला सदन/प्रथम सदन/लोगों का सदन
  - न्यूनतम आयु - 25 वर्ष
  - प्रथम बैठक - 17 अप्रैल 1952
- राज्य सभा
  - उच्च सदन/द्वितीय सदन/राज्य परिषद/बड़ों का सदन
  - न्यूनतम आयु - 30 वर्ष
  - प्रथम बैठक - 13 मई 1952

अनुच्छेद-80

- राज्य सभा की संरचना
- बारह सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा
  - साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 238 से अधिक प्रतिनिधि नहीं
- राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरा जाएगा
- प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य की विधान सभा के सदस्य चुने जायेंगे
- राज्यों की परिषद में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को संसद द्वारा निर्धारित कानून द्वारा चुना जाएगा

अनुच्छेद-81

- लोक सभा की संरचना
- राज्यों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए 530 से अधिक सदस्य नहीं
- केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिक सदस्य नहीं
- लोक सभा में सीटों की संख्या इस प्रकार आवंटित की जाएगी कि संख्या और जनसंख्या सभी राज्यों के लिए समान हो

अनुच्छेद-82

- प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन

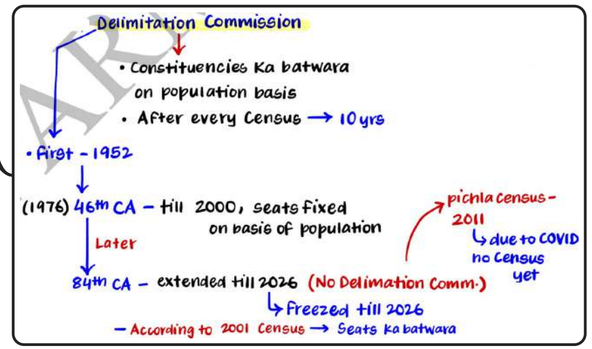

अनुच्छेद-83

- संसद के सदनों की अवधि
- राज्यों की परिषद विघटन के अधीन नहीं होगी
- प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जायेंगे
- लोक सभा नियत तारीख से 5 वर्ष तक जारी रहेगी और फिर भंग हो जाएगी

अनुच्छेद-84

- संसद की सदस्यता के लिए योग्यता
- भारत का नागरिक
- राज्यों की परिषद (राज्यसभा) के मामले में - 30 वर्ष से कम आयु नहीं
- लोक सभा के मामले में - आयु 25 वर्ष से कम नहीं

अनुच्छेद-85

- संसद के सत्र
- राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाएगा
- राष्ट्रपति समय-समय पर सदनों या किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकता है
- राष्ट्रपति समय-समय पर लोक सभा को भंग कर सकता है

अनुच्छेद-86

- राष्ट्रपति के अधिकार
- राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को या एक साथ समवेत दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं
- राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है, चाहे वह संसद में लंबित किसी विधेयक के संबंध में हो

अनुच्छेद-87

- राष्ट्रपति का विशेष संबोधन
- लोक सभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में
- प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में
- राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे

अनुच्छेद-88

- सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार
- भारत के प्रत्येक मंत्री और अटॉर्नी-जनरल को किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होगा
- इस अनुच्छेद के आधार पर वोट देने का हकदार नहीं होगा

अनुच्छेद-122

- अदालतें संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगी

सर्वोच्च न्यायालय

अनुच्छेद 124
- सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन
- भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा
  - भारत के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर और 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं
- सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश
  - राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
  - अधिकतम आयु - 65 वर्ष।
  - राष्ट्रपति को इस्तीफा।
  - किसी न्यायाधीश को उसके पद से खंड (4) में दिए गए तरीके से हटाया जा सकता है
- कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा
  - जब तक वह भारत का नागरिक न हो।
  - किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में कम से कम दस वर्षों तक वकील रहा हो
  - किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में कम से कम पाँच वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो
  - राष्ट्रपति की राय में, वह एक प्रतिष्ठित न्यायविद् हैं
- उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जायेगा
  - संसद के प्रत्येक सदन के अभिभाषण के बाद पारित राष्ट्रपति के आदेश द्वारा
  - उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा समर्थित
  - किसी न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता के सबूत के आधार पर
- राष्ट्रपति के समक्ष शपथ
- सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में पैरवी या कार्य नहीं करेगा

अनुच्छेद 125
- न्यायाधीशों के वेतन आदि
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भुगतान संसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है
- विशेषाधिकार और भत्ते समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं

अनुच्छेद 126
- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
- जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद किसी भी कारण से रिक्त या अनुपस्थित हो तो कर्तव्यों का पालन न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक द्वारा किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं।

अनुच्छेद 127
- तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
- यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कोरम किसी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की सहमति से, एक तदर्थ न्यायाधीश के रूप में न्यायालय की बैठकों में उपस्थिति के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकते हैं।
- न्यायाधीश का कर्तव्य, जिसे इस प्रकार नामित किया गया है, अपने कार्यालय के अन्य कर्तव्यों की प्राथमिकता में

अनुच्छेद 128
- उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
- राष्ट्रपति की सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा

अनुच्छेद 129
- उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा।
- सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसके पास न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी

अनुच्छेद 130
- सुप्रीम कोर्ट की सीट
- सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा
- या किसी अन्य स्थान पर, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी से भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है

अनुच्छेद 131
- सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार
- इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी विवाद में मूल क्षेत्राधिकार होगा
  - भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच
  - भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच एक तरफ और एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच
  - दो या दो से अधिक राज्यों के बीच

अनुच्छेद 132
- कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
- संवैधानिक मामलों में

अनुच्छेद 133
- सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
- संपत्ति, विवाह, तलाक आदि के मामलों में।

अनुच्छेद 134
- आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
- चोरी, हत्या, आरोप आदि के मामलों में।

अनुच्छेद 135
- मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएंगी
- जब तक संसद कानून द्वारा प्रावधान नहीं करती, तब तक सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मामले में अधिकार क्षेत्र और शक्तियां होंगी, जिन पर अनुच्छेद 133 या अनुच्छेद 134 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

अनुच्छेद 136
- उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति
- सर्वोच्च न्यायालय, अपने विवेक से, किसी भी कारण से किसी भी निर्णय, अधिकारिक आदेश, निर्धारण, सजा या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है।

अनुच्छेद 137
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा
- संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधानों के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय के पास समीक्षा करने की शक्ति होगी

अनुच्छेद 138
- सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार
- संघ सूची के किसी भी मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के पास अतिरिक्त क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ होंगी
- सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मामले के संबंध में भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के समान अतिरिक्त क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ होंगी

अनुच्छेद 139
- सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्तियाँ प्रदान करना
- संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है।

अनुच्छेद 140
- सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ
- संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अनुमति देने का प्रावधान कर सकती है

अनुच्छेद 141
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा

अनुच्छेद 142
- उच्चतम न्यायालय की अधिकारिक आदेश और आदेशों का प्रवर्तन तथा खोज आदि के संबंध में आदेश
- सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक अधिकारिक आदेश पारित कर सकता है या आदेश दे सकता है
- संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय के पास कोई भी आदेश देने की पूरी शक्ति होगी

अनुच्छेद 143
- सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
- यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि कानून का कोई प्रश्न उठ गया है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न को उस न्यायालय को भेज सकता है और न्यायालय, सुनवाई के बाद, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय बता सकता है।

अनुच्छेद 144
- नागरिक और न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना
- भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक, सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे

Presented with xmind

उच्च न्यायालय

PARMAR SSC

अनुच्छेद 214
- राज्यों के लिए उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 215
- उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालयों के रूप में

अनुच्छेद 216
- उच्च न्यायालयों का गठन
- । मुख्य न्यायाधीश और अन्य ऐसे न्यायाधीश, जिनके बारे में संसद निर्णय ले सकती है

अनुच्छेद 217
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की नियुक्ति एवं शर्तें
- राष्ट्रपति द्वारा परामर्श, राष्ट्रपति के रूप में ऐसे अन्य न्यायाधीश आवश्यक दाखिल कर सकते हैं - कोलेजियम
- राष्ट्रपति को त्यागपत्र
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही पद से हटायें जानी की पक्रिया
  - दुर्व्यवहार साबित हुआ हो
  - अक्षमता
- योग्यता
  - 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत की
  - 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहे हो

अनुच्छेद 218
- उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना

अनुच्छेद 219
- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- राज्यपाल द्वारा

अनुच्छेद 220
- स्थायी न्यायाधीश होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध

अनुच्छेद 221
- न्यायाधीशों के वेतन आदि
- वेतन - राज्य की संचित निधि
- पेंशन - भारत की समेकित निधि

अनुच्छेद 222
- एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण
- CJI के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा

अनुच्छेद 223
- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

अनुच्छेद 225
- मौजूदा उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार
- राज्यपाल को सलाह की जरूरत नहीं है
- मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और रिट
- उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से अधिक व्यापक है

अनुच्छेद 226
- कतिपय रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति
- उच्च न्यायालय की रिट उच्चतम न्यायालय की रिट से अधिक व्यापक है
- उच्च न्यायालय कानूनी + मौलिक अधिकार पर रिट जारी कर सकता है
- उच्च न्यायालय रिट जारी करने से इंकार कर सकता है लेकिन उच्चतम न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता

अनुच्छेद 227
- उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति

अनुच्छेद 230
- उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार
- संसद की शक्ति
- कलकत्ता उच्च न्यायालय — अंडमान एवं निकोबार
- (कोच्चि) केरल उच्च न्यायालय — लक्षद्वीप
- महाराष्ट्र उच्च न्यायालय — दमन
- मद्रास उच्च न्यायालय — पुद्दुचेरी

अनुच्छेद 231
- महाराष्ट्र एवं गोवा एक सामान्य उच्च न्यायालय — महाराष्ट्र उच्च न्यायालय
- 7th संवैधानिक संशोधन द्वारा
- दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना

अनुच्छेद 233
- कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का सत्यापन
- राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद

अनुच्छेद 234
- न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती

Presented with xmind

संवैधानिक निकाय

UPSC, SPSC & JPSC

- अनुच्छेद 315
  - संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग
  - UPSC - संघ लोक सेवा आयोग
  - SPSC - राज्य लोक सेवा आयोग
  - JPSC (जेपीएससी) - संयुक्त लोक सेवा आयोग
- अनुच्छेद 316
  - सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल
  - UPSC & JPSC की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है
  - SPSC राज्यपाल द्वारा नियुक्त
  - अवधि
    - UPSC - 6 / 65 साल
    - SPSC & JPSC - 6 / 62 साल
  - इस्तीफा
    - UPSC & JPSC - राष्ट्रपति को
    - SPSC - गवर्नर को
- अनुच्छेद 317
  - लोक सेवा आयोग किसी सदस्य को हटाना एवं निलंबित करना
  - हटाने का अधिकार - राष्ट्रपति द्वारा
    - यदि वह दिवालिया है
    - वह सवैतनिक रोजगार में लगा हुआ है
    - यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है
    - दुर्व्यवहार के आधार पर
- अनुच्छेद 318
  - आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति
  - सेवा शर्त का नियम
    - UPSC & JPSC - राष्ट्रपति
    - SPSC - राज्यपाल
- अनुच्छेद 319
  - ऐसे सदस्य न रहने पर आयोग के सदस्यों द्वारा पद धारण करने पर प्रतिषेध
- अनुच्छेद 320
  - आयोगों के कार्य
  - परीक्षा आयोजित करने के लिए
    - CSE, CDS, CAPF AC, NDA etc. - UPSC द्वारा
- अनुच्छेद 321
  - लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति
  - UPSC - संसद
  - SPSC - राज्य विधानमंडल
- अनुच्छेद 322
  - लोक सेवा आयोगों के व्यय
  - UPSC
    - भारत की संचित निधि
  - SPSC
    - राज्य की संचित निधि
- अनुच्छेद 323
  - लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट
  - UPSC - राष्ट्रपति
  - SPSC & JPSC - राज्यपाल

NCSC

Constitutional Bodies	Article
1. Attorney General of India	76
2. Comptroller and Auditor General of India	148
3. Advocate General of State	165
4. State Finance Commission	243-I
5. State Election Commission	243-K
6. Inter - State Council	263
7. Finance Commission	280
8. Goods and Service Tax Council	279A
9. UPSC Public Service Commission	315-323
10. State Public Service Commission	315-323
11. Election Commission of India	324
12. National Commission for Schedule Castes	338
13. National Commission for Backward Classes	338B
14. Scheduled Area and Scheduled Tribes Commission	339
15. Backward Classes Commission	340
16. Special Officer for Linguistic Minorities	350B

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- अनुच्छेद 338
- (NCSC & NCST) एनसीएससी और एनसीएसटी अलग हो गए
- 86th संवैधानिक संशोधन, 2003
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) (NCST)
- अनुच्छेद 338A
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) (NCBC)
- अनुच्छेद 338B
- अध्यक्ष + उपाध्यक्ष + 3 अन्य सदस्य (एनसीएससी और एनसीएसटी) (NCSC & NCST)
- Composition
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है

निर्वाचन आयोग

- अनुच्छेद 324
- चुनाव आयोग एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है
- यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए उभयनिष्ठ है
- संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनावों की देखभाल EC द्वारा की जाती है
- EC में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं।
  राष्ट्रपति संख्या तय करते हैं
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है
- अवधि - 6 वर्ष / 65 वर्ष
- चुनाव आयोग की शक्तियां
  - प्रशासनिक
  - सलाहकार
  - अर्ध न्यायिक
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान पद से हटाये जाने की प्रक्रिया
- मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है

Art 324 – Superintendence, Direction,and Control of Elections
Art 325 – No person to be ineligible for inclusion in electoral rule only on ground of religious, race, caste, sex
Art 326 – Election to LS and LA
Art 327 – Power of Parliament to make provisions w.r.t to elections to legislature
Art 328 – Power of Legislature of a State to make provisions w.r.t to elections to such legislature
Art 329 – Bar to interference by courts in electoral matters

भारत का महान्यायवादी (Attorney General)

- अनुच्छेद 76
  - भारत का महान्यायवादी/भारत के अटॉर्नी-जनरल
- देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी माना जाता है
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसकी इच्छानुसार पद पर बना रहता है
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य
- वेतन और सेवा की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं
- कर्तव्य
  - कानूनी मामलों पर सरकार को सलाह देना
  - SC में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होने के लिए
  - आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना
- अधिकार
  - भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है
  - संसदीय कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है
  - वोट देने का अधिकार नहीं है
  - संसद सदस्य को उपलब्ध सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ भारत का महान्यायवादी को प्रदान की जाती हैं
- प्रथम भारत का महान्यायवादी - एम सी सीतलवाड
- वर्तमान में भारत का महान्यायवादी - आर वेंकटरमणी

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
- एकल सदस्यीय निकाय
- अनुच्छेद 148
  - भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को जनता के धन का संरक्षक माना जाता है
  - भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रमुख
  - राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
  - अवधि 6 वर्ष / 65 वर्ष
  - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान पद से हटाया जाने की प्रक्रिया
  - पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं
  - वेतन - संसद द्वारा निर्धारित
- अनुच्छेद 149
  - संसद CAG के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित कर सकती है
  - भारत की समेकित निधि और भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित सभी व्ययों से संबंधित खातों का ऑडिट करना
  - किसी भी कर और शुल्क की शुद्ध प्रक्रिया का पता लगाना और प्रमाणित करना
  - राज्य सरकार के खातों को संकलित और बनाए रखता है।
- अनुच्छेद 150
  - संघ और राज्यों के खाते उसी प्रारूप में रखे जाएंगे जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर निर्धारित कर सकते हैं
- अनुच्छेद 151
  - राष्ट्रपति को ऑडिट रिपोर्ट

वित्त आयोग

- अनुच्छेद 280
- अर्ध न्यायिक निकाय
- राष्ट्रपति द्वारा गठित
- संसद द्वारा रचना (1+4)
- पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र
- संसद उनकी योग्यता निर्धारित करती है
  - सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाले अध्यक्ष
  - एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य
  - में विशेष ज्ञान होना
    - वित्त एवं लेखा
    - अर्थशास्त्र
    - आर्थिक मामला
- कार्य
  - राष्ट्रपति को सिफ़ारिश करना (राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं)
  - केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण
  - केंद्र द्वारा राज्यों को किस प्रकार अनुदान सहायता दी जाएगी
  - राज्यों ने पंचायत और नगर पालिकाओं के बीच संसाधनों के समान वितरण के लिए धनराशि एकत्रित की और उनमें बदलाव किए गए
- प्रथम वित्त आयोग-केसी नोएगी
- 15वें वित्त आयोग-एन के सिंह

Presented with xmind